राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, निकट यू0पी0 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226027
E-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता/महात्वपूर्ण

पत्रांकः–7676/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 05/12/2018

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0।

2 समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम
उ0प्र0।

3. सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,
उ0प्र0।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परि0/नगर पंचायत
उ0प्र।

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या संख्या–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे दिनांक 13.11.2018 एवं 29.11.2018 को सुनवाई के दौरान पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक– 7050/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 16.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में नगरीय निकायों में शहरी बेघरों के आश्रय हेतु पर्याप्त संख्या में मूलभूत सभी आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं युक्त अस्थाई शेल्टर होम की व्यवस्था/स्थापना कर 01 दिसम्बर 2018 से संचालन प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके सापेक्ष अधिकांश नगरीय निकायों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है एवं **कतिपय नगरीय निकायों से रिपोर्ट अद्यतन अप्राप्त है।**

2. उल्लेखनीय है कि जनपदों/नगरीय निकायों से अस्थाई शेल्टर होम की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में निकायवार प्राप्त अस्थाई शेल्टर होम की सूची के साथ ही निकायों में DAY-NULM एवं NON-DAY-NULM शेल्टर्स की सूची भी संलग्न की गयी है तथा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार अस्थाई शेल्टर होम की स्थापना कर सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रकरण में दिनांक 29.11.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान जाड़े के दृष्टिगत शहरी बेघरों को सभी आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं सहित शेल्टर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा जाड़े के दृष्टिगत विन्टर प्लान तैयार किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
4. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में आवश्यक है कि निकायों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित अस्थाई शेल्टर्स का विधिवत संचालन प्रत्येक दशा में 01 दिसम्बर 2018 से प्रारम्भ कर दिया जाय तथा अस्थाई शेल्टर्स में सभी आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये, जिससे मा0 उच्चतम न्यायालय में आगामी तिथियों में किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि याचीकर्ता द्वारा प्रकरण की मानीटरिंग कर मा0 उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक सुनवाई पर स्थितियों से अवगत कराया जाता है।
5. अद्यतन जिन निकायों में शहरी बेघरों हेतु अस्थाई शेल्टर होम की स्थापना नहीं की गयी है वहां भी तत्काल स्थापना कर संचालन प्रारम्भ कर दिया जाये।
6. शहरी बेघरों हेतु DAY-NULM के अन्तर्गत पूर्ण शेल्टर का संचालन तत्काल चयनित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये तथा नगरीय निकायों द्वारा

संचालित शेल्टर होम को भी DAY-NULM के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना में उल्लिखित सेवाओं, सुविधाओं एवं मानकों के अनुरूप सुचारू रूप से संचालन कराया जाये।

7. शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाने हेतु रात्रि में अभियान चलाकर गतिशीलता के माध्यम से उनको शेल्टर होम में लाया जाये तथा सभी शेल्टर होम्स के नियमित औचक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार स्थाई एवं अस्थाई शेल्टर्स के सुचारू रूप से संचालन एवं शहर की आवश्यकता अनुसार अस्थाई शेल्टर की स्थापना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

2 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिग्त कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्त के सम्बन्ध मे सभी नगरीय निकायों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

3 निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम।

4 समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0 को समन्वय के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

5 सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक